

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/1773

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 01/05/2025

अप्रार्थीगण

1 अणदाराम पुत्र दमाराम 2 गोनाराम पुत्र ज्वाराराम 3 गोसाईराम पुत्र कस्तूराराम 4 जगमालराम पुत्र दमाराम 5 जसाराम पुत्र कस्तूराराम 6 तीजो देवी पत्नि ज्वाराराम 7 भूपाराम पुत्र ज्वाराराम 8 भैराराम पुत्र दमाराम 9 मालू देवी पत्नि कस्तूराराम 10 रागाराम पुत्र कस्तूराराम 11 हुकमाराम पुत्र लाधाराम 12 हितेश कुमार पुत्र कस्तूराराम 13 हिमताराम पुत्र दमाराम निवासी शिवकर, पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 कल्याण सिंह पुत्र भगसिंह वगैराह जातियान राजपूत निवासी शिवकर, पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 752/2024

दिनांक- 23/04/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा शिवकर पटवार क्षेत्र शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 115 रकबा 9.4373 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1774-77

दिनांक- 01/05/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण अणदाराम पुत्र दमाराम निवासी शिवकर, पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण कल्याण सिंह पुत्र भगसिंह वगैराह जातियान राजपूत निवासी शिवकर, पटवार हल्का शिवकर तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर